

भा.कृ.अ.प.-केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान  
(ICAR-Indian Council of Agricultural Research)  
शिमला-171001(हि.प्र.) Shimla-171001(HP)

संख्या एफ.01-02/2019/स्था.1/ 20972 - 990

दिनांक 18 मार्च, 2019.

कार्यालय आदेश

निदेशक, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला द्वारा संस्थान एवं केन्द्रों पर Night Duty Allowance का भुगतान निम्न बिन्दुओं के अनुसार कार्रवाई करने तथा निर्देशों का अनुपालन करते हुए किए जाने के आदेश पारित किए जाते हैं :

1. Night Duty Allowance का भुगतान सभी पात्र कुशल सहायी कर्मचारियों (Security watchmen, Guest House Attendants, Tube well operators) को जो रात 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के दौरान सरकारी कार्य हेतु तैनात किए जाते हैं, उन्हें किया जाना है ।
2. सभी पात्र कर्मचारियों के Night Duty Allowance की गणना अलग से Computerised pay Roll के तहत applicable hourly rate के आधार पर की जाएगी । इस सम्बन्ध में संलग्न Sheet अनुसार प्रत्येक कर्मचारी की प्रत्येक माह की गणना की जानी है । दिनांक 31.12.2018 तक की गणना 30 अप्रैल, 2019 तक की जानी है । सभी केन्द्राध्यक्ष सुनिश्चित करें कि पात्र कर्मचारियों के सभी नियंत्रण अधिकारी पूर्ण Data/Certificate/undertaking केन्द्रों के DDO कार्यालयों में 10 अप्रैल, 2019 तक जमा करवा दें ।
3. Night Duty Allowance का भुगतान सभी पात्र कर्मचारियों को रिकार्ड की उपलब्धता के आधार पर उस तिथि से किया जाना है जिस तिथि से भुगतान बन्द किया गया था ।
4. दिनांक 31.12.2015 के पश्चात् सेवानिवृत्त पात्र कर्मचारियों को अभी दिनांक 31.12.2015 तक ही NDA का भुगतान किया जा सकेगा । दिनांक 01.1.2016 से देय NDA का भुगतान सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की स्वीकृति के पश्चात् प्राप्त निर्देशों के आधार पर किया जा सकेगा ।
5. सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी को यह प्रमाण पत्र देने होंगे कि रात्रि सेवा के लिए पात्र कर्मचारी की डियूटी लगानी अनिवार्य थी ।
6. इस संदर्भ में सभी पात्र कर्मचारियों से एक घोषणा पत्र (undertaking) लेना अनिवार्य है कि - 'मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि यदि Night Duty Allowance के भुगतान के संदर्भ में ICAR/GOI से किसी प्रकार के कोई निर्देश प्राप्त होते हैं या फिर अन्य किसी कारण से यह निर्णय लिया जाता है कि मुझे NDA का भुगतान अधिक किया गया है/नहीं किया जाना था तो मैं इस आशय से प्राप्त की गई राशि संस्थान को वापिस लौटा दूंगा/दूँगी ।'
7. NDA Allowance देने का कार्य प्रत्येक केन्द्र के DDO के अंतर्गत आएगा व पात्र कर्मचारियों की Night duty संबंधी सभी Details/Certificate उनके नियंत्रण अधिकारी द्वारा maintain होंगी व प्रत्येक वर्ष जनवरी व जुलाई में कर्मचारी की undertaking के साथ DDO कार्यालय में अगले आदेशों तक जमा करवाई जानी होगी ।

प्रशासनिक अधिकारी  
16/3/19

वितरण :

1. संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, मोदीपुरम ।
2. कार्यकारी केन्द्राध्यक्ष, केन्द्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र, जालन्धर /पटना/ग्वालियर/कुफरी/ शिलोंग ।
3. प्रभारी वैज्ञानिक, केन्द्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र, ऊटी।
4. वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला ।
5. सहायक प्रशासनिक अधिकारी (बिल एवं कैश), केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला ।
6. डॉ. शशी रावत, प्रधान वैज्ञानिक व नाडेल अधिकारी, कृषि ज्ञान प्रबन्धन ईकाई (AKMU), केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला को इस आशय के साथ कि उक्त कार्यालय आदेश को संस्थान की वेब साईट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।
7. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र मोदीपुरम/जालन्धर /पटना/ग्वालियर /कुफरी/ शिलोंग/ऊटी को इस अनुरोध के साथ कि वे भुगतान सम्बन्धी कार्रवाई 30 अप्रैल तक करने तथा इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को रिपोर्ट प्रेषित करने की कृपा करें।
8. श्री नरेश कुमार शर्मा (प्रभारी, श्रम/सुरक्षा/गेस्ट हाऊस/Canteen शिमला) कृपया शिमला स्थित पात्र कर्मचारियों का Night Duty से संबंधित Data/Certificate DDO को देने की कृपा करें ।
9. गार्ड फाईल ।

